

(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4308—पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक
26-10-2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विजय नगर जिला
इंदौर, प्रकरण क्रमांक 8/अपील/2015-16.

- 1—श्रीमती शांता पति ओमप्रकाश
निवासी ग्राम करनावद तहसील बागली जिला देवास
2—श्रीमती वन्दना पति हेमन्त द्विवेदी
निवासी ग्राम चापडा तहसील बागली जिला देवास
3—श्रीमती चन्द्रबाई पति ललीतशंकर पंड्या
निवासी ग्राम सामलिया
तहसील सागवाडा जिला डोंगरपुर(राजस्थान)
4—जगदीश पिता नागेश्वर
5—सोमेश्वर पिता जगदीश
6—दिलीप पिता जगदीश
7—सिद्धेश्वर पिता जगदीश
क्रमांक 4 से 7 निवासी ग्राम गुराडिया कला
तहसील बागली जिला देवास
8—श्रीमती संगीता पति सुरेश
निवासी ग्राम सैलाना जिला रतलाम म0प्र0

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1—प्रकाशचन्द्र पिता ओंकारलाल पालीवाल
निवासी अपोजिट वर्मा पेट्रोल पम्प
जलचक्की कांकरोली जिला राजसमंद राजस्थान
2—श्रीमती तिलोत्तम पति रमेश चन्द्र पालीवाल
निवासी रामपुरा, नाथद्वारा जिला राजसमंद राजस्थान

..... अनावेदकगण

श्री एम0एस0तोमर, अभिभाषक— आवेदकगण

श्री एन0जी0 बाहेती, अभिभाषक—अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी विजय नगर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8-9-2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3280—पीबीआर / 16 में दिनांक 4-10-2016 को अंतरिम आदेश पारित कर निगरानी ग्राह्य की जाकर रथगन दिया गया है । इस न्यायालय के रथगन के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26-10-2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के कब्जे के संबंध में रिथति रपष्ट नहीं होने से रिसीवर नियुक्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रिसीवर नियुक्त करने हेतु किसी भी पक्ष के द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके बावजूद भी रिसीवर नियुक्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता में नामान्तरण प्रकरण में रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदकगण उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं इस कारण भी रिसीवर नियुक्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल द्वारा रथगन दिया गया था । अतः अनुविभागीय अधिकारी को केवल कार्यवाही स्थगित करना थी, परन्तु उनके द्वारा रिसीवर नियुक्त करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय

अधिकारी के समक्ष रिसीवर नियुक्त करने संबंधी आवेदन पत्र किसी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके बावजूद रिसीवर नियुक्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर संतोष पाठीदार का कब्जा है और संतोष पाठीदार को अधबटाई पर भूमि अनावेदकगण द्वारा दी गई है। इस आधार पर कहा गया कि कब्जे की स्थिति स्पष्ट होने पर भी रिसीवर नियुक्त करना अनौचित्यपूर्ण कार्यवाही है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि उभयपक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर अपना अपना कब्जा बतला रहे हैं। इस न्यायालय में भी तर्क के दौरान उभयपक्ष की ओर से प्रश्नाधीन भूमि पर अपना कब्जा बतलाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रिसीवर नियुक्त करने में पूर्णतः न्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। वैसे भी रिसीवर नियुक्त होने से विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी विजय नगर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 4343-पीबीआर/16 (प्रकाशचन्द्र पिता रव०श्री ओंकारलाल पालीवाल एवं अन्य विरुद्ध श्रीमती शांताबाई पत्नि ओमप्रकाश दुबे एवं अन्य) पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
गवालियर